स्थापना कि शाखा

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, ARARIA
2015
CONFIDENTIAL SECTION

पत्रांक –को0प्र0/स्था0–03/2015 5268 - वि0/

**बिहार सरकार**
**वित्त विभाग**

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलायुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 16/6/15 /

विषयः– **बैंक खातों में संचित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय में कमी के रूप में कोषागार में जमा कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न कार्यालय प्रधानों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातों के विवरण से निम्नांकित तथ्य सामने आये हैं :–

(i) सभी बैंक खाते वित्त विभाग की सहमति के बिना खोले गये हैं जो बिहार कोषागार संहिता के नियम–34 का उल्लंघन है।

(ii) बैंक खातों में बड़ी राशि संचित की गयी है।

(iii) बैंक खाता में संचित राशियों पर ब्याज के रूप में बड़ी राशि अर्जित की गयी है।

(iv) कई कार्यालयों में गैर योजना मद से वेतन, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, व्यवसायिक एवं विशेष सेवा मद आदि की राशि भी बैंक खातों में रखी गयी है जो घोर वित्तीय अनियमितता है।

(v) प्रायः सभी कार्यालयों में कई ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें बहुत पहले से राशि पड़ी हुई है और वर्तमान में उसका स्रोत अज्ञात है।

(vi) प्रायः सभी कार्यालयों में एक से लेकर 35 बैंक खाते रखे गये हैं।

(vii) जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में छात्रवृति की बड़ी राशि की निकासी कर बैंक खाते में रखी गयी है, आदि।

2. कोषागार से लोक धन की निकासी कर बैंक खाता में संचित करना बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–34. 176 एवं 177 के विरूद्ध है। इससे राज्य का नगद अवशेष घटता है तथा अग्रिम या सहायक अनुदान के रूप में निकासी की गयी

राशि का सामंजन भी लंबित रहता है। ए0सी0 / डी0सी0 / उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा कई बार स्पष्ट निदेश दिया गया है कि जो राशि व्यय होने वाली नहीं हो, उसे कोषागार में वापस जमा करा दिया जाय ताकि ए0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का सामंजन किया जा सके।

3. अतः बैंक खातों में संचित राशि की मात्रा एवं उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित निदेश निर्गत किये जाते हैं:–

(i) बैंक खातों में अर्जित ब्याज की राशि को सरकार के प्राप्ति शीर्ष (R0049048000016) में जमा किया जाय।

(ii) वैसी राशियाँ जो बैंकों में बहुत दिनों से पड़ी हुई है तथा उसका स्रोत ज्ञात नहीं है, को घटावें वापसियाँ (Deduct recoveries of unspect balance) के रूप में वापस कोषागार में जमा किया जाय।

(iii) गैर योजना / योजना मद में वेतन, आकस्मिक व्यय, मानदेय, यात्रा भत्ता आदि मद की राशि को घटावें वापसियाँ के रूप में जमा किया जाय।

(iv) वैसी योजना की राशि, जिसका लाभ पीछे की तिथि से नहीं दिया जा सकता है (उदाहरणस्वरूप, किसानों को दिया जाने वाला खाद सबसिडी, आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार कार्यक्रम, विद्यालयों में मिड डे मिल, मजदूरी की राशि आदि), क्योंकि इन योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि का उपबंध किया गया है, को अचूक रूप से घटावें वापसियाँ के रूप में कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(v) सभी बैंक खातों को बंद किया जाय। यदि किसी विशेष कारण से राशि की निकासी कर बैंक खाता में रखना अनिवार्य है तो युक्तियुक्त कारण के साथ प्रशासी विभाग के माध्यम वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया जाय। विचारोपरांत वित्त विभाग विशेष परिस्थिति में बैंक खाता खोलने की सहमति दे सकता है।

(vi) वापस की जाने वाली राशि का चेक / ड्राफ्ट कोषागार पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया जायेगा। उसके साथ पूर्ण रूप से भरा गया चालान की तीन प्रति भी संलग्न की जायेगी। खाताधारी के द्वारा कोषागार पदाधिकारी को उस विपत्र कोड / बजट कोड की जानकारी अवश्य दी जायेगी, जिससे राशि की निकासी की गयी थी ताकि घटावें वापसियाँ का विपत्र कोड / बजट कोड निर्धारित किया जा सकें। कोषागार पदाधिकारी चालान पर दर्ज विपत्र कोड की जाँच कर लेंगे तथा उसे पारित करते हुए चेक / ड्राफ्ट के साथ बैंक में जमा करा देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चेक से राशि वापसी का ब्योरा एक पंजी में भी संधारित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में वित्त विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(रवि मित्तल) 5/6

प्रधान सचिव।

हरिश. 50

अररिया समाहरणालय

(स्थापना प्रशाखा)

ज्ञापांक 1282 /सी0, अररिया, दिनांक 17 वी0 जून, 2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला मुख्यालय स्थित सभी कार्यालय प्रधान/प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

17/6/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया

17/6/15